



सत्यमेव जयते

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएं, नई दिल्ली
7th फ्लोर 'ए' ब्लॉक, डिफेन्स ऑफिस कॉम्प्लेक्स
अफ्रीका एवेन्यू, नई दिल्ली - 110066
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT,
DEFENCE SERVICES, NEW DELHI.
7th FLOOR, 'A' BLOCK, DEFENCE OFFICE COMPLEX
AFRICA AVENUE, NEW DELHI - 110066



लोकहितार्थं सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Int

कार्यालय आदेश भाग-11 संख्या: 153

दिनांक 01.03.2023

कार्यालय आदेश

भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन के परिणामस्वरूप, महानिदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएं, नई दिल्ली को निम्नलिखित सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों को वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में उनके नामों के सामने दर्शाए गए कार्यालयों में वेतन मैट्रिक्स (7वाँ सी.पी.सी) के स्तर 10 में उस तिथि से जब से वे नए पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे अगले आदेशों तक पदोन्नति (Proforma Promotion) का आदेश देने में प्रसन्नता हो रही है।

Consequent to the approval of The **President of India**, The Director General of Audit, Defence Services, New Delhi has been pleased to the promotion (Proforma Promotion) of following Assistant Audit Officers, as Senior Audit Officers in the Level – 10 of Pay Matrix (7th CPC) against the offices mentioned against their names with effect from the date they take over charge as Sr. Audit Officer till further orders.

क्रम सं. / S. No.	नाम / Name (Sh./Smt.)	विशिष्ट पहचान / HOS	Office Name
1.	Anita Pokhriyal	2138	CAG office
2.	Rajmani Tiwari	2259	DGADS New Delhi Ex Cadre Post
3.	Rahul Gaur	2667	CAG Office
4.	Shiv Kumar Jha	2672	CAG Office
5.	Harsh Kumar Pandey	2039	CAG Office

वेतन मैट्रिक्स (7वाँ सी.पी.सी) के स्तर - 10 में उनका वेतन भारत के राजपत्र अधिसूचना 721 (ई). एफ. नंबर 1-2/2016-आरई सी दिनांक 25.07.2016 के माध्यम से अधिसूचित किये गए सी.सी.एस. (संशोधित वेतन) नियम, 2016 के नियम 13 के अंतर्गत निर्धारित होगा। वह पदोन्नति की तारीख से एक माह के भीतर पदोन्नति पर वेतन निर्धारण हेतु विकल्प का उपयोग कर सकते हैं।

Their pay in the Level – 10 of Pay Matrix (7th CPC) will be fixed under Rule 13 of CCS (Revised Pay) Rules, 2016, notified vide Gazette Notification G.S.R. 721(E). F.

No. 1-2/2016 IC dated 25.07.2016. They may exercise the option for pay fixation on promotion within one month from the date of promotion.

यह पदोन्नति SLC (C) संख्या 30621/2011 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 26.09.2018 को पारित किए गए निर्णय के अधीन है।

This promotion is subject to judgement passed by the Hon'ble Supreme Court dated 26.09.2018 in SLC (C) No. 30621/2011.

यदि वे अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवार हैं तो उनके पदोन्नति आदेश में यह खंड सम्मिलित किया जायेगा कि ऐसी नियुक्ति तब तक अनन्तिम मानी जाएगी जब तक संबंधित प्राधिकारियों द्वारा उनकी जाति की स्थिति की जांच नहीं कर ली जाती।

If they are SC/ST candidates, this promotion order will include a clause that such appointment will be considered provisional till the status of their caste is checked by the concerned authorities.

भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, व्यय विभाग मंत्रालय(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) की ज्ञा. संख्या फ.सं. 35034/3/2008-स्था(डी.) दिनांक 19.05.2009 अनुबंध 1, पैरा 25 के अनुसार पदोन्नति को अस्वीकार करने से संबंधित प्रावधान भी लागू होंगे।

The provisions related to the rejection of promotion under Govt. Of India, DoPT OM No. F. No. 35.34/3/2008-Estt(D) dated 19.05.2009 annexure 1, Para 25 will also apply.

भारत के राजपत्र दिनांक 20.11.2019 में जी.एस.आर. नं. 860(ई) दिनांक 18.11.2019 के द्वारा प्रकाशित, भारत के राजपत्र में भाग-II की धारा 3 उप-धारा (i) में अधिसूचित वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पद के लिए भर्ती नियम के अनुसूची 09 के कॉलम के अनुसार, उनके वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी के संवर्ग में पदोन्नति पर 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि होगी।

As per the column 09 of the schedule of the Recruitment Rule for the post of Senior Audit Officer, notified in Para-II Section 3 Sub-section (i) of Gazette of India vide GSR No. 860(E) dated 18.11.2019 published in Gazette of India on 20.11.2019, on their promotion to the Senior Audit Officer cadre there shall be a 02-year probation period.

यह कार्यालय आदेश दिनांक 01.03.2023 से प्रभावी होगा।

This office order will be effective from 01.03.2023.



(देव धर त्रिपाठी)


वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी,
रक्षा सेवाएं, नई दिल्ली।

संख्या: 3789/डी.डी.ए.(मुख्या)/2022/Vol-II

दिनांक: 01.03.2023

प्रति सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. भारत के नियंत्रक एवम् महालेखापरीक्षक, 9 दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110001
2. महानिदेशक (रक्षा), कार्यालय भारत के नियंत्रक एवम् महालेखापरीक्षक, 9 दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110001।
3. महानिदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएं, नई दिल्ली - सचिवालय।
4. निदेशक (प्रतिवेदन)-स्थानीय।
5. उप निदेशक (मुख्यालय)-स्थानीय।
6. वेतन एवम् लेखा अधिकारी(रक्षा लेखापरीक्षा), नई दिल्ली।
7. व्यक्तिगत फाईल।
8. जी.एल.।
9. कार्यालय आदेश भाग-।। पंजिका।
10. डी.एंड आर.ए.सी सैल।
11. सभी संबंधित अधिकारी(जिनकी पदोन्नति की जा रही है।)



(देव धर त्रिपाठी)

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी,
रक्षा सेवाएं, नई दिल्ली।